संक्षिप्त

जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित

कोटपूतली। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित समस्त विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि जिला कलक्टर द्वारा टीकाकरण में कम रही चिकित्सा संस्थान के प्रभारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। साथ ही समय पर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करने एवं जेएसवाई व राजश्री योजना का भुगतान करने के निर्देश दिये गये। विभागीय योजनाओं को गंभीरता से लेकर प्रगति में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिये गये। डिप्टी सीएमएचओ (स्वा.) डॉ. प्रमोद सिंह भदौरिया ने मौसमी बीमारियों की जानकारी देते हुये मौसमी बीमारियो के लिये क्षेत्र में एंटीलार्वा गतिविधि को लगातार करने के बारे में अवगत करवाया तथा समय पर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एवं बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की जानकारी दी। डिप्टी सीएमएचओ (प.क.) डॉ. जयभगवान यादव ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी, आईयूडी एवं अंतरा की प्रगति की समीक्षा की। जिसमें परिवार कल्याण की प्रगति में सुधार करने के बारे में अवगत करवाया गया। बैठक में डॉ. सुशील गौतम एसएमओ डब्ल्यूएचओ द्वारा टीकाकरण एवं मिजल्स की समीक्षा की गई।

72 यज्ञों की महा श्रृंखला में 43वे यज्ञ की पूर्णाहुति

पावटा। विश्व शांति और मानव कल्याण के उद्देश्य से बाबा बस्तीनाथ के सान्निध्य में सिद्ध योगी श्री बाबा बालनाथ आश्रम बावडी पावटा में वर्षपर्यंत चल रहे 108 कुंडिय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ के 72 यज्ञों की महाश्रृंखला में मंगलवार को 43वे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। जिसमें सभी यजमानों ने इस पांच दिवसीय यज्ञ में बडे ही ध्यान से पूजन और हवन का कर्म करते हुए प्रकृति प्रकोप और महामारी और विश्व कल्याण की रक्षा हेतु भगवान महामृत्युंजय शिव नामावली के साथ आहुतियां दी। साथ ही बाबा श्री बस्तीनाथ के द्वारा इस यज्ञ की पूर्णाहुति प्रधान कुंड पर बाबा श्री के कर कमलो के द्वारा हुई। बाबा श्री बस्तीनाथ को भेंट के स्वरूप कई यजमानों ने दुर्व्यसन का त्याग किया। यह संवत्सर यज्ञ अकल्पनीय है इसमें सर्व हिंदू समाज एक मंडप के नीचे बैठकर यह सत्कर्म कर रहे हैं शिव को उत्तम योनि के रूप में कहा गया है। इसमें धर्म से जुडना हम सब का सौभाग्य है प्रारब्ध अच्छे थे तभी यह नेक योनि मिली है।

11 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में

कोटपूतली। स्थानीय शिव मंदिर ढ़ाणी दीपावली में आदर्श सैनी समाज द्वारा सैनी विकास संस्था (संगठन) के तत्वाधान में देवउठनी एकादशी मंगलवार को 11 जोड़ों का विवाह सम्पन्न करवाया गया। जबकि अध्यक्षता उद्योगपति अशोक सैनी नीमराना ने की।

दौसा विधानसभा उपचुनाव में 62.30 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया

दौसा। जिला एवं पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के चलते बुधवार को दौसा विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सम्पन्न होने पर जिला एवं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इधर शादी-विवार समारोह होने के कारण अधिकांश बूथ दोपहर तक सूने रहे, जिसके चलते गत विधानसभा चुनाव की तुलना में इसबार मतदान कम हुआ। उल्लेखनीय है कि जिला एवं पुलिस प्रशासन ने दौसा विधानसभा के उपचुनाव में मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए मतदान केन्द्रों एवं उनके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे, जिसके चलते किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने, बाहुबलियों द्वारा मतदाताओं को रोके जाने के कोई समाचार नही आये। मतदान को लेकर इस बार मतदाताओ में उत्साह की कमी रही, दोपहर तक अधिकांश बूथ सूने पडे रहे। दोपहर बाद मतदाताओ में उत्साह देखा गया, जिसके चलते मतदान केन्द्रों पर भीड उमडना शुरु हो गई थी।

बूथों पर लगी लम्बी कतार:- पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के चलते इस बार शुरुआती दौर मे मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा, दोपहर बाद मतदाताओ में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखा गया, कई मतदान केन्द्रों पर रंग-बिरंगें परिधानो में सजी महिलायें सामुहिक रुप से मांगलिक गाती हुई मतदान केन्द्रों पर पहुंची तथा अपने मतों का प्रयोग किया। मतदान को लेकर अधिकांश व्यापारियों, दूकानदारों ने मतदान करने को लेकर अपने प्रतिष्ठान बंद रखें।

महिलायें मांगलिक गीत गाती हुई मतदान केन्द्रों पर पहुंचकर मतों का प्रयोग किया।

शुरुआती दौर में मतदान प्रतिशत रहा कम:- मतदान के शुरुआती दौर में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा, प्रात: 9 बजे तक 8.72 प्रतिशत मतदान हुआ, 11 बजे तक 20.43 प्रतिशत, 3 बजे तक 44.38 प्रतिशत तथा 5 बजे तक 55.63 प्रतिशत मतदान हुआ। दोपहर बाद मतदान का प्रतिशत एक साथ बढने लग गया, जिसके चलते मतदान केन्द्रों पर भारी भीड जमा हो गई साथ ही पुलिसकर्मियो को शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारी मशक्कत करानी पडी।

शांतिपूर्ण मतदान पर राहत की सांस ली:- राज्य चुनाव आयोग ने दौसा विधानसभा क्षेत्र को अतिसंवेदनशील मानते हुये सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षाबल तैनात किये थे, तकरीबन 6 हजार से अधिक पुलिसकर्मियो की मतदान केन्द्रों पर ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके चलते प्रशासन ने राहत की सांस ली है।

हुडदंगियो को खदेडा:- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय मे स्थित मतदान केन्द्रों पर फर्जी मतदान को लेकर कुछ युवको ने हंगामा खडा कर दिया, जैसे ही इसकी सूचना मोबाइल टीम को लगी उसके साथ ही मौके पर पहुंची तथा फर्जी मतदान करने वाले युवको एवं महिलाओ को मौके से खदेड दिया।

निरीक्षण किया:- जिला निर्वाचन अधिकारी देवेन्द्र कुमार ने बुधवार को महिला मतदान केन्द्र का औचक निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओ मे ओर भी सुधार के निर्देश दिये। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी देवेन्द्र कुमार ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये है, गडबडी की सूचना मिलने पर तत्काल फोर्स भेजी जायेगी। वही दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने भी मतदान केन्द्रो पर सुरक्षा का जायजा लिया। उधर निर्वाचन विभाग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षको ने भी बूथों को औचक निरीक्षण किया तथा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निर्वाचन विभाग द्वारा इस बार भी होम वोटिंग की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग का घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को ये सुविधा उपलब्ध नही हो पाई तथा उन्हे मतदान केन्द्रों पर मतदान के लिए जाना पडा।

अज्ञात कारणों से लगी आग

पावटा। ग्राम पंचायत कैरोडी की निम्बुवाला की ढाणी मे उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में सूख रही कडब धु धु कर जलने लगी।

बुधवार की शाम ग्राम पंचायत कैरोडी की निम्बुवाला की ढाणी निवासी अशोक सिंह, रामसिंह के घर के पास लगी से करीब 100 मणकडबजलकर राख हो गई। अज्ञात कारणों से पीडित किसान अशोक सिंह, रामसिंह की लगभग 100 मण कडब जल गई। फायर ब्रिगेड जब तक पहुंची कडब जल चुकी थी। वही ग्रामीणों ने पीडित किसान की आग में जली कडब के मुआवजे की मांग की है ताकि वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-4663 दिनांक-08/11/24

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/ फ्लैट सख्या 191/389 (MIG-B), का आवंटन श्रीमती उर्मिला शर्मा पत्नी श्री डी. एन. शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1072 दिनांक 09.03.2005 को जारी किया गया था। श्रीमती उर्मिला शर्मा के पक्ष में उक्त आवास / फ्लैट के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 14.12.2015 को उप-पंजीयक, सांगानेर-द्वितीय जयपुर में पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती उर्मिला शर्मा द्वारा उक्त आवास को श्रीमती भूमिका जोशी पत्नी श्री विशाल शर्मा को उपहार कर इनके पक्ष में उपहार पत्र दिनांक 25.01.2016 को उप पंजीयक (नवम्) जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती भूमिका जोशी द्वारा उक्त आवास को श्री अनुपम आर्य पुत्र श्री सतीश कुमार मित्तल को विक्रय कर इनके पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2016 को उप पंजीयक (चतुर्थ) जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्री अनुपम आर्य द्वारा उक्त आवास को श्रीमती रुकमणी नागर पत्नी श्री रोहित कुमार नागर को विक्रय कर इनके पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 18.09.2024 को उप पंजीयक (चतुर्थ) जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। क्रेता / क्रेती श्रीमती रुकमणी नागर पत्नी श्री रोहित कुमार नागर द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती रुकमणी नागर पत्नी श्री रोहित कुमार नागर का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

आम सूचना दि. 13.11.2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र तरुण शर्मा आयु- 36 वर्ष, एवं उसकी पत्नी मेरे कहने सुनने में नहीं है, और ना ही मेरी सेवा-चाकरी करते है। मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते है। जिससे मेरी और मेरे परिवार की समाज में छवि धूमिल हो रही है। जिस कारण में और मेरी पत्नी अपने पुत्र तरुण शर्मा व पुत्रवधू शिल्पी अग्रवाल एवं इनसे उत्पन्न संतानो से समस्त पारिवारिक संबंध विच्छेद करते हुए, अपनी संपूर्ण चल-अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं। अतः आज के बाद अगर कोई दीगर व्यक्ति/फर्म/संस्था/ बैंक किसी प्रकार का लेन- देन संव्यवहार करता है, तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। सूचित रहे।

भवदीय- मुकेश चंद शर्मा पुत्र जगन्नाथ शर्मा, मो. 9928064593 पताः 31, हस्तीनापुर कॉलोनी, पृथ्वीराज नगर, करणी पैलेस, पांच्यावाला, जयपुर।

कार्यालय उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(नई विधानसभा के पास, लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक-एफ()/न.नि.ज.ग्रेटर/मा.न.जोन/2024/2551 दिनांक-12.11.2024

सार्वजनिक सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मूल भूखण्ड संख्या जे 10 हिम्मत नगर, जयपुर बजाज नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड का जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा श्री महेश चन्द्र पालीवाल पुत्र श्री अम्बा शंकर पालीवाल के क्षेत्रफल 431.66 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। मूल आवंटी श्री महेश चन्द्र पालीवाल पुत्र श्री अम्बा शंकर पालीवाल के द्वारा अपने जीवन काल में दिनांक 01.11.2010 को नोटरी प्रमाणित अपंजिकृत वसीयतनामा अपने दो पुत्रों श्री धानेश एवं श्री अशोक के पक्ष में आधे-आधे भाग प्रत्येक का 215.83 वर्गगज का निष्पादित किया गया है। मूल आवंटी महेश चन्द्र पालीवाल पुत्र श्री अम्बा शंकर पालीवाल का स्वर्गवास दिनांक 08.11. 2016 को हो चुका है। आवेदक श्री धानेश पालीवाल पुत्र स्व. श्री महेश चन्द्र पालीवाल के द्वारा आवेदन के साथ शपथ-पत्र (अण्डरटेकिंग), रजिस्टर्ड पट्टा, मूल आवंटी का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं रजिस्टर्ड अपंजिकृत वसीयतनामा, उपविभाजन स्वीकृति पत्र दक्षिणी भाग का एवं मानचित्र की प्रति, अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या जे-10, हिम्मत नगर, जयपुर के दक्षिणी भाग 215. 83 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर भूखण्ड संख्या जे-10, हिम्मत नगर, जयपुर के दक्षिणी भाग 215.83 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण नगर निगम ग्रेटर जयपुर के द्वारा श्री धानेश पालीवाल पुत्र स्व. श्री महेश चन्द्र पालीवाल के पक्ष में किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

आम-सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री लक्ष्मीनारायण कुमावत पुत्र स्व0 जौहरीलाल, व श्रीमती रतनी देवी पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण, व राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण, निवासी- प्लाट नंबर 105, श्रीरामनगर, वौरिंग चौराहा, झोटवाड़ा, जयपुर राज0 का बड़ा पुत्र मुकेश कुमावत व उसकी पत्नी श्रीमती मधु कुमावत पुत्री कमल कुमार ने मेरे अभिभाष्यगण के परिवार को हैरान व परेशान कर रखा है तथा 10 साल से उक्त मकान से अलग रह रहे थे जो कि दो माह पूर्व जबरन मकान में प्रवेश कर गये हैं तथा दहेज के झूठे मुकदमों में फसाने की धमकी देते हैं। इसलिए मेरे अभिभाष्यगण लक्ष्मी नारायण व उनकी पत्नी रतनी देवी उन्हें अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से व हक अधिकारो से वंचित करते हैं, उनका भविष्य मे मेरे अभिभाष्यगण व उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। यदि वह किसी से भी किसी प्रकार का संव्यवहार करता है तो उसके लिए वह स्वंय ही होगें। अतः सूचित रहें।

जयपुर (विनोद नैनिवाल) एडवोकेट मो.-7568211524

किशनगढ़ बास सहित जिले भर में कलेक्टर के निर्देश पर 75 ई-मित्र केंद्रों का निरीक्षण

किशनगढ़ बास। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश पर किशनगढ़ बास सहित जिले भर में एसडीएम तहसीलदार बीडीओ की टीम ने 75 ई-मित्र केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र मांचा, मस्तान की कुई खानपुर मेवान, नियर गवर्नमेंट स्कूल दीपक राजा ई मित्र सेवा केंद्र लंगड़बास, वीपीओ लंगड़बास, राजीव गांधी सेवा केंद्र बाघोर बंद मिले तथा हसनपुर माफी में स्थित ई-मित्र कीयोस्क राजीव गांधी सेवा केंद्र में संचालित ना होकर मुख्य सड़क पर संचालित पाया गया।

किशनगढ़ बास में निरीक्षण के दौरान तिजारा रोड प्रजापत मोहल्ला व अनीश ई-मित्र सेवा केंद्र वशिष्ठ मार्केट की दुकान पर निर्धारित दरों से अधिक दर वसूली की शिकायत मिली। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने निरीक्षण अधिकारियों की टीम रिपोर्ट पर

किशनगढ़ बास में ई-मित्र पर जांच करते एसडीएम मनीष जाटव।

■ तिजारा हसनपुर माफी में राजीव गांधी सेवा केंद्र में संचालित ना होकर मुख्य सड़क पर संचालित पाया गया ई-मित्र केंद्र

उपनिदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि एक साथ 75 ई-मित्र केंद्रों पर किए गए निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की टीम ने ई-मित्र केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं सहित नवीनतम रेट लिस्ट, को ब्रांडेड बैनर, ई-मित्र अनुबंध में दी हुई जगह पर कार्यरत है या नहीं, अधिक शुल्क वसूली, ई-मित्र का मूल प्रमाण पत्र चश्मा है या नहीं सहित अन्य दस्तावेजों की जांच करी। तथा आधारभूत उपकरण जैसे माइक, ईमित्र प्लस, स्केनर, लैपटॉप, वेबकैम, स्पीकर आदि की उपलब्धता की जांच की। जांच के दौरान जिन केंद्रों पर आधारभूत उपकरण उपलब्ध नहीं मिले उनके संचालकों को आवश्यक उपकरण केंद्र पर रखने के निर्देश दिए। तथा जिन ई-मित्र का मूल प्रमाण पत्र चस्पा न होने पर संबंधित संचालक को प्रमाण पत्र चस्पा करने के लिए पाबंद किया गया। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण अधिकारियों की टीम रिपोर्ट मिलने पर उपनिदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

'बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा दे'

कोटपूतली। जिले में भिक्षावृति पर रोक लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, श्रम विभाग, बाल सरंक्षण समिति, चाइल्ड लाइन तथा पुलिस विभाग की ओर से संयुक्त रूप से उमंग अभियान - 4 प्रारंभ किया गया है। बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश सहारण की अध्यक्षता में उमंग अभियान को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित हुई बैठक में बस स्टैंड तथा शहर के मुख्य चौराहे पर बच्चो का भीख मांगना बंद करने के लिए 30 दिन तक उमंग अभियान-4 चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलाया जाएगा।

जिसमें भीख मांगते पकड़े गये बच्चो को उनके सरंक्षण और पुनर्वास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल कल्याण समिति के पास पेश किया जायेगा। बाल भिक्षावृति को रोकने के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान मे प्रत्येक थाने से पुलिस अधिकारियो /पुलिसकर्मियो की टीम गठित की गई है।

आम-सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री संजीव कुमार पुत्र स्व. श्री आर. के. वार्ष्णेय, निवासी-7, मित्र कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड संख्या-346, योजना विस्तार ऑफिसर्स कैम्पस, जयपुर (कुल क्षेत्रफल 202.58 वर्गगज) को श्री उमादत्त शर्मा पुत्र स्व. श्री चिरंजीलाल शर्मा, निवासी-8, मित्र कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर को विक्रय किया जाना तय किया है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था, निकाय आदि को उज, ऐतराज हो तो 15 दिवस के अन्दर मेरे अभिभाष्य श्री संजीव कुमार अथवा मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें। वाद गुजरने उक्त मियाद इस भूखण्ड के संशय में कोई उज्ज/आपत्ति शून्य एवं निष्प्रभावी मानी जावेगी।

जयपुर (विकासेन्दु पाण्डेय) एडवोकेट

दिनांकः13.11.2024 मो.नं. 9414454525

खोया पाया

संतोष कुमार अग्रवाल पुत्र सत्यनारायण अग्रवाल निवासी 2/230 विधाधर नगर, जयपुर के नाम से सन सिटी प्रोजेक्टस प्रा. लि., जयपुर के द्वारा जारी रसीद कमांक 0275 दिनांक 17.07.2012 जो 2,50,000 की थी प्रार्थी के नाम से रसीद जारी की गई थी खो गई किसी को मिले तो लोटाये। मो. 9314793143

सन्तोष कुमार अग्रवाल

प्रपत्र संख्या 7

(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 352/2024

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री शशांकअग्रवाल पुत्र श्री राहुल अग्रवाल निवासी 50, धुलेश्वर गार्डन, सी-स्कीम, जयपुर 302001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत सतीश चन्द अग्रवाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय पता-50, धुलेश्वर गार्डन, सी-स्कीम, जयपुर 302001 ने राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 7.11.24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 13.1.25

मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

सड़क स्वीकृति पर पूर्व विधायक का ग्रामवासियों ने किया अभिनंदन

चौमू / कालाडेरा, (निंस) चौमू उपखण्ड की ग्राम पंचायत सिंगोदकलाँ में सरगोठ सीमा से रावो की ढाणी तक सड़क स्वीकृति पर ग्रामवासियों द्वारा पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का अभिनंदन किया।

पूर्व विधायक शर्मा ने सड़क स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। राजकीय विद्यालय रावो की ढाणी में डीएमएफटी फण्ड से दो कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्य के लिए पूर्व विधायक रामलाल शर्मा और पंचायत समिति प्रधान रामस्वरूप यादव का स्वागत किया गया। सरगोठ सीमा से रावो की ढाणी तक सड़क निर्माण से आमजन को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा नवीन कक्षा कक्षों के निर्माण से विद्यार्थियों को बैठने में सुविधा होगी। ग्रामवासियों द्वारा पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का माला एवं साफ़ा पहनाकर अभिनंदन कर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौक़े पर प्रधान रामस्वरूप यादव, पंचायत समिति सदस्य लालचंद यादव, मंडल महामंत्री जितेन्द्र सिंह, पूर्व सरपंच सरदार जाखड़, सरपंच कुसुमलता, पूर्व सरपंच गणेश नारायण चोपड़ा, पवन चोपड़ा सुरेश सैनी, सुरेन्द्र सिंह राव, मनोहरसिंह राव सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे।

पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का माला एवं साफ़ा पहनाकर अभिनंदन कर धन्यवाद ज्ञापित किया।

वीर हनुमानजी परिसर में पुन प्रारंभ होगा पैसेंजर रोपवे

शाहपुरा। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि जयपुर ग्रामीण जिला क्षेत्र में सामोद वीर हनुमान मंदिर में पिछले दो वर्ष से बंद पड़े पैसेंजर रोपवे को जल्दी ही पुन: शुरू करवाया जाएगा। सामोद पर्वत पर वीर हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना आसान होगा। सांसद सिंह ने बताया कि देशभर में आध्यात्मिक स्थल के रूप में विख्यात वीर हनुमान मंदिर में रोपवे पुन: शुरू होने से क्षेत्र में आने वाले देसी व विदेशी सैलानीयों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा।

सामोद वीर हनुमान मंदिर में रोपवे पुन: शुरू करने के लिए केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। जोशी ने बताया कि सामोद पर्वत पर वीर हनुमानजी मंदिर पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 1151 सीढ़ियां चढनी पड़ती है। वीर हनुमानजी मंदिर के प्रति आस्था रखने वाले बुजुर्ग, दिव्यांग महिलाओं व बच्चों को रोपवे शुरू नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था।

रोपवे की स्वीकृति मिलने पर रोपवे का कार्य शीघ्र पूरा करवाया जाएगा। सैद्धांतिक स्वीकृति दिलवाने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल कुमावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने धानोता में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुरलीपुरा सरपंच शीशराम कलवानिया, पूर्व उपसरपंच सोहनलाल दूण, डॉ बी एल बराला, विनोद लाटा, सोहन लाल यादव, छीतरमल जाट सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

नाम परिवर्तन मैं प्रहलाद सहाय यादव पुत्र श्री सेडू राम यादव निवासी - ढाणी बिंजा वाली कुजोता तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़ का रहने वाला हूं जो की मेरी पुत्री अक्षिता यादव को मेरे चाचा कालूराम पुत्र फूसाराम व मेरी चाची श्रीमती रेशिमि देवी यादव पत्नी कालूराम यादव निवासी ढाणी बीजावाली, कुजोता ने गोद लिया है जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय कोटपूतली में दिनांक 21 . 03 .2024 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 21 .पृष्ठ संख्या 142, क्रम संख्या202403061400046 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 04 जिल्द संख्या 13, के पृष्ठ संख्या 603 से 616 पर चस्पा किया गया है। इसलिए अब मुझे मेरी पुत्री अक्षिता यादव के सभी दस्तावेजों में गोद ग्रहणकर्ता पिता का नाम कालूराम व माता का नाम रेशिमि देवी यादव दर्ज करवाना है, यानी की अब भविष्य में मेरी पुत्री अक्षिता यादव के गोद ग्रहणकर्ता पिता का नाम कालूराम यादव व माता का नाम रेशिमि देवी यादव ही समझा जावेगा यदि मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में पिता और माता का नाम बदलवाने हेतु अगर भविष्य में कानूनी वाद विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की रहेगी।

कार्यालय उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(सांगानेर स्टेडियम वाली रोड, गर्ल्स स्कूल के पास)

क्रमांकः एफ-53/डी.सी./एसएनजेड़/ननिग्रेज/2024-25/2121

आपत्ति आमंत्रण सूचना दिनांक: 12/11/2024

नगर निगम ग्रेटर जयपुर के सांगानेर जोन में निम्नलिखित आवेदको ने नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत पत्रावली दर्ज कराई है जिसके अनुसार विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	नाम आवेदक एवं पिता/ पति का नाम एवं पता	नया वार्ड	भवन साईज	पट्टा श्रेणी
1.	श्री राजेन्द्र सिंह, गिर्राज सिंह, राजनारायण सिंह, महेश सिंह, रघुवीर सिंह, परमेश सिंह, लक्ष्मण सिंह राजपूत पुत्रान् स्व. श्रीमती सदा कंवर पत्नी स्व. श्री दामोदर सिंह एवं मान सिंह राजपूत, विजय सिंह पुत्रान् स्व. श्री मोहन्द्र सिंह प्लाट नं. 10/228, नगर निगम रोड, गर्ल्स स्कूल के पास, सांगानेर जिला जयपुर	93	1342.00	नाम हस्तान्तरण

उक्त आवेदको को नाम हस्तान्तरण जारी करने मे किसी भी व्यक्ति/संस्था/को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो जोन कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस में सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अन्दर पेश करें। वाद मियाद गुजरने के किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा तथा पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सूचित होवे।

डॉ. रवि कुमार गोयल (आर.ए.एस) उपायुक्त जोन, नगर निगम जयपुर ग्रेटर

प्रपत्र-5

राजस्थान सरकार

कार्यालय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

अपील/निगरानी संख्या 387/24

इन्डिगो एयरलाईन्स

....अपीलार्थी

बनाम

खगेन्द्र कुमार शर्मा

...प्रत्यर्थी

(अपील अन्तर्गत धारा 41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019)

प्रेषित-

खगेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री कृष्ण कुमार शर्मा के-004 पर्ल ग्रीन एकर्स श्री गोपाल नगर गोपालपुरा रोड जयपुर 303006

श्री इन्डिगो एयरलाईन्स ने इस आयोग के समक्ष जिला मंच जयपुर IV के आदेश दिनांक 22.9.23 जो परिवाद संख्या 452/21 उपवानी इन्डिगो एयरलाईन्स बनाम खगेन्द्र कुमार में पारित हुआ है, के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अपील व प्रलेखों की प्रतियां संलग्न की जा रही है।

आपको के समक्ष दिनांक 13.1.24 को प्रातः 10 बजे उपस्थित हो यदि आप द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा राज्य आयोग के समक्ष दिनांक... को प्रात 10 बजे उपस्थित हों। यदि आप द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपर्युक्त नियत तिथि व समय पर उपस्थित नहीं हुए तो अपील गुणावगुण के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णित कर दी जायेगी।

उप-पंजीयक/रीडर

मोहर अदालत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान, जयपुर

नाम परिवर्तन

मै, न. 9514974A हवलदार अजीत कुमार यादव, 70 इंफैन्ट्री ब्रिगेड, मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम संगीता यादव है जो कि गलत है, जबकि मेरी पत्नी का सही नाम कुमारी संगीता यादव है।

मैंने अपने पुत्र का नाम डोलीराम सैनी से बदलकर कमल सैनी रख लिया है, भविष्य में उसे कमल सैनी नाम से जाना जाए, मुकेश कुमार सैनी पताः 4, शिक्षा सागर कॉलोनी, गोविंदपुरा सांगानेर, जयपुर

I MALI RAM SHARMA S/O Madho Lal Bhatt, R/O Ward No. 12, Bhatto ka mohalla, Ajeetgarh, Sikar, Rajasthan - 332701 have changed my name and shall hereafter be known as MALI RAM MADHOLAL SHARMA

नम्बर मिलाइए 9587884433

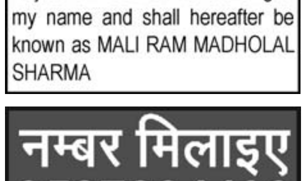

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

देवली उनियारा के उपचुनाव का मतदान 65.14 फिसदी पर संपन्न

देवली। यहां बुधवार को मतदान दिवस की प्रक्रिया सुबह 7:00 ही प्रारंभ प्रारंभ हो गई लेकिन मतदान के प्रति मतदाताओं की रुचि पूर्व के भांति बहुत कम रही देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव मतदान दिवस पर मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों के समर्थकों ने मतदाताओं को घर से बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की तब कहीं जाकर देवली उनियारा का मतदान प्रतिशत 65 पॉइंट 14 संपन्न हुआ। यहां उप चुनाव के मतदान दिवस पर युवा मतदाताओं के साथ बुजुर्ग और दूल्हा दुल्हन मतदाता भी मतदान करने के लिए बूथ केंद्र पर पहुंचे और मतदान दिवस पर मतदान करते हुए दिखाई दिए।

हालांकि मतदान दिवस पर सुबह से ही बूथ केंदो पर एक आध मतदाताओं के साथ। मतदान प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन अधिकांश बुथ केंद्र कुछ एक मतदाताओं के साथ खाली बन रहे। ऐसे हालातो को देखकर प्रत्याशियों सहित समर्थको के माथे पर भी चिंता की लकीर दिखाई दी। वही देवली उनियारा उपखंड के बीसलपुर गांव और समरावात मैं चुनाव का बहिष्कार किया गय।

बुधवार को उपचुनाव तो हुए लेकिन सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम को 6:00 बजे तक मतदाता धीमी गति से मतदान केदो पर पहुंचते रहे। आखिर शाम होते होते 6:00 बजे तक देवली उनियारा का मतदान 65 पॉइंट 14 प्रतिशत पर संपन्न हो ही गया।

मतदान दिवस पर युवा मतदाताओं के साथ बुजुर्ग और दूल्हा दुल्हन मतदाता भी मतदान करने के लिए बूथ केंद्र पर पहुंचे।

■ देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव मतदान दिवस पर मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों के समर्थकों ने मतदाताओं को घर से बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की तब कहीं जाकर देवली उनियारा का मतदान प्रतिशत 65 पॉइंट 14 संपन्न हुआ

420 मामले में दो फरार आरोपी गिरफ्तार

पावटा। प्रागपुरा थाना पुलिस ने एक साल से फरार धोखाधडी पूर्वक जमीन बेचने के मामले में दो आरोपीयों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला कोटपूतली बहरोड पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के निर्देशन एंव वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर शिप्रा राजावत के सुपरविजन व प्रागपुरा थाना प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों शिवनगर पावटा निवासी अर्जुनलाल यादव पुत्र लादूराम यादव, रामकुमार यादव पुत्र लादूराम यादव को गिरफ्तार किया है।

मामले की जानकारी देते हुए प्रागपुरा थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि पावटा निवासी गोपाल अग्रवाल ने इस्तगासे द्वारा थाने में मामला दर्ज करवाया था कि अर्जुनलाल यादव पुत्र लादूराम यादव, रामकुमार यादव पुत्र लादूराम यादव ने जमीन बेचने के बाद धोखाधडी करते हुए पुन: एक बार बिकी हुई जमीन को अन्य लोगों को बेच दी।

धोखाधडी मामले में दोषी मानते हुए धारा 420, 406 मे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

कार्यालय भू-सम्पति अधिकारी

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फेक्स व फोन नं. 01425-254982

No.F.13/SKNAU/EO/TENDER/2024-25/901-08 दिनांक : 12-11-2024

निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में COA, Bharatpur मे Construction of Boys Hostel के कुल लागत 250.00 लाख के एक कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में द्वि लिफाफा पद्दति से मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। बिड से सम्बधित विवरण वेब साईट http://sppp.raj.nic.in, eproc.rajasthan.gov.in तथा www.sknau.ac.in पर देखा

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) चौमूं जयपुर

क्रमांक : 801-11 दिनांकः 13.11.2024

अल्पकालीन सीमित निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मंडी समिति (अनाज), चौमूं के मंडी प्रागंण की सुरक्षा व्यवस्था लगे सीसीटीवी कैमरों की रख रखाव व मरम्मत में प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित स्पेसिफिकेशन के अनुसार सामग्री आपूर्ति हेतु इच्छुक पंजिकृत विक्रेता फर्मों से दिनांक 20.11.2024 को दोपहर 12 बजे तक बन्द लिफाफे में स्वयं के लेटर हैड पर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। सामग्री की दरें सभी करों सहित एफ.ओ.आर. मंडी समिति कार्यालय चौमूँ में देनी होगी। प्राप्त निविदाओ को उसी दिन दोपहर 12.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं (यदि कोई उपस्थित हों) के समक्ष खोला जावेगा। निविदा स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार मण्डी समिति को होगा। सशर्त निविदाऐ मान्य नही होगी। निविदा से संबंधित आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण, विशिष्टियाँ तथा अन्य जानकारियां किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अवलोकन की जा सकती हैं।

सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत हेतु सामग्री की स्पेसिफिकेशनः-

वायरिंग कट 6 केबल लगाना व स्थापित करना, पंचिग टूल, RJ45 Connector, 4TB Hardisck, P.O.E. switch, IP कैमरों की एनवीआर मशीन, आवश्यकतानुसार नये कैमरे लगाना, मंडी प्रागण मे लगे कैमरों की मरम्मत कार्य व अन्य सामग्री

प्रशासक सचिव